अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 194/2014

अपीलार्थी – श्रीमती शैल कुमारी देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1299/प्रो0 दिनांक 28.5.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 30.5.2013 को 10:52 बजे पूर्वाह्न में महिला पर्यवेक्षिका रंजीता कुमारी द्वारा मरौना परियोजना के केन्द्र सं0– 63 का "बाल पोषाहार निरीक्षण" किया गया। सेविका/सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित थे, केन्द्र पर एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे। महिला पर्यवेक्षिका ने खुद सेविका /सहायिका को घर से बुलवाया/सेविका /सहायिका द्वारा बताया गया कि भारी बारिश के कारण बच्चें केन्द्र पर नहीं आए सेविका/ सहायिका का कार्य असंतोष जनक पाया गया।

उपरोक्त अंकित अनियमितताएं के आरोप केन्द्र की सेविका श्रीमती शैल कुमारी देवी एवं सहायिका मुन्नी कुमारी से कार्यालय पत्रांक 1116/प्रो0 दिनांक 23.7.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किया गया। सेविका श्रीमती शैल कुमारी देवी दिनांक 02.9.2013 को अपने स्पष्टीकरण के साथ सुनवाई हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के कार्यालय मे उपस्थित हुई । अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि निरीक्षण की तिथि में निरीक्षण के दौरान मूसला धार वर्षा हो रही थी, मूसलाधार होने से पूर्व बुन्दा –बुन्दी वर्षा होने के क्रम में स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने बच्चे को उनके

माता–पिता स्वंय केन्द्र पर आकर घर लेकर चले गए, चूँकि उन्हें लगा कि भारी बारीश होने की संभावना है। जाने से पहले उन बच्चों को उन्हें स्नैक्स दिया गया था। किन्तु सेविका द्वारा उनके स्पष्टीकरण से असहमति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल व्यक्त करते हुए केन्द्र बंद रहने एवं उनकी अनुपस्थिति बताकर उन्हें चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1299 दिनांक 28.5.2014 द्वारा दिया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमे पक्ष एवं विपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने –अपने पक्ष एवं कागजात पेश किये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण तिथि 30.5.2013 को महिला पर्यवेक्षिका रंजीता कुमारी केन्द्र जाँच हेतु केन्द्र सं0– 63 पर आई ही नहीं बल्कि केन्द्र के बगल में श्री प्रमोद राय के घर पर रूककर सेविका से केन्द्र के संबंध में जानकारी ली एवं निरीक्षण पंजी माँग कर गलत टिप्पणी दर्ज की, उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी के आने के समय बुंदा– बुंदी शुरू हो गई एवं कुछ ही मिनट में तेज वर्षा होने लगी, जिसके कारण स्कूल पूर्व शिक्षा लेने आए बच्चे भी तेज वर्षा के वजह से अपने –अपने घर की ओर भागने लगे। पुनः वर्षा कम होने पर उन बच्चों को बुलाकर स्कूल पूर्व शिक्षा, एवं पोषाहार बनाकर खिलाया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण तिथि को भी केन्द्र संचालित हुआ है या नहीं बच्चे के आने व पोषाहार के संबंध में उक्त पोषक क्षेत्र के ग्रामीणों से जाँच रिर्पोट मंगवाकर इसकी तहकीकात की जा सकती है,साथ ही ग्रामीणों का बयान भी अवलोकन कराया गया। उन्होने यह भी बताया कि तेज वर्षा होने के कारण केन्द्र संचालन में एक डेढ़-घंटे का व्यवधान हुआ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि चयन मुक्त सेविका शैल कुमारी देवी का केन्द्र सं0– 63 दिनांक 30.5.2013 को (निरीक्षण तिथि का) संचालित हुआ अथवा नहीं इसकी प्रतिवेदन सी0डी0पी0ओ0 मरौना से जाँच कराकर प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्देश का हवाला दिया गया कि 19486/2011, विभागीय पत्रांक 1998 दिनांक 12.6.2012 में भी अंकित है कि जाँच प्रतिवेदन एवं इसके साथ एकत्रित किए गए साक्ष्यों को भी परखा गया।

अपीलार्थी एवं सरकारी अधिवक्ता के अनुरोध पर ही इस कार्यालय के पत्रांक 177 दिनांक 7.8.2014 द्वारा सी0डी0पी0ओ0 मरौना से जाँचस्थल पर जाकर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देश दिए गए, एवं उसी पत्र के आलोक में C.D.P.O. मरौना ने पत्रांक 293 दिनांक 25.8.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निरीक्षण की तिथि को अत्यधिक वर्षा के कारण केन्द्र संचालन में व्यवधान हुआ वर्षा कम हो जाने पर लाभुक बच्चों को पूरक शिक्षा एवं पोषाहार देकर घर भेजा गया उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र नियमित संचालित होता है, अतः सेविका को एक मौका और दिया

जाना चाहिए।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सेविका/सहायिका का क्रियाकलाप व लगन–शीलता संतोषप्रद नहीं है, अगर अत्यधिक वर्षा भी हो रही थी, तो भी सेविका एवं सहायिका को निर्धारित समय तक केन्द पर ही मौजूद रहना चाहिए , न कि उन्हें उस अवधि में घर पर विश्राम करना चाहिए। आँगनबाड़ी केन्द्र से अनुपस्थित रहना दर्शाता है कि वे जबावदेही व मुस्तैदी के साथ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागु करवाने में मेहनत नहीं करती है साथ ही कार्य के प्रति लापरवाह व उदासीन रहती है।

उपरोक्त सारे विवेचानाओं निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि निरीक्षण तिथि को अत्यधिक वर्षा के कारण केन्द्र संचालन में व्यवधान हुआ, लाभुक बच्चें केन्द्र में उस समय तक शुन्य थे जो सेविका की अकर्मण्यता व शिथिलता को दर्शाता है, हाँ यह बात सही है कि वर्षा रूकने पर केन्द्र संचालित किया गया, पूरक पोषाहार देकर लाभुक बच्चों को घर भेजा गया इसके साक्ष्य के तौर पर लाभुक ग्रामीणों के बयान का अवलोकन किया गया, हाँ ऐसी बाते भी हो सकती है कि इसमें सेविका ने अपने प्रभाव का इस्तमाल कर Pre-thought बयान तैयार करवा लिए हो, लेकिन सेविका/सहायिका की लापरवाही तो उजागार हो ही गई, निर्धारित समय तक बच्चे नहीं भी आने पर भी सेविका/सहायिका को केन्द्र पर मौजूद रहना चाहिए जो उनकी मानसिकता व कार्यप्रणाली को उजागर करती है अतः न्यायालय सेविका को सुधरने का एक मौका देते हुए आर्थिक दंड एक महीने का पूरक पोषाहार की राशि जो निर्धारित होती है सरकारी कोषागार मे जमा करने का निर्देश देती है।, निर्धारित आर्थिक दंड पूरक पोषाहार की राशि जमा होने के उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका को अपने पद पर चयन बरकरार रखती है, आर्थिक दंड इस लिए भी कि सेविका अब सदा यह महसुस करेंगी कि सर्व प्रथम उन्हें अपने दायित्वों का पालन जबावदेही व मुस्तैदी से करना है फिर अन्य कार्यो पर ध्यान देने की जरूरत है अन्य घरेलू कार्य तो प्रतिदिन आते–जाते रहते है नियमित केन्द्र सुचारूरूपेण व मुस्तैदी के साथ चले इस पर ध्यान केन्द्रित की आवश्यकता है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित 21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा